रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 17, 2003/फाल्गुन 26, 1924
No. 124] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 17, 2003/PHALGUNA 26, 1924

लोक सभा के पटल पर रखे जाने वाले कागज
Papers to be Laid on the Table of Lok Sabha
प्रमाणीकृत / AUTHENTICATED
(जिन्जी एन० रामाचन्द्रन)
(GINGEE N. RAMACHANDRAN)
वित्त एवं कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री
Minister of State in the Ministry of Finance

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2003

सा.का.नि. 217(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 76 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 में :—

(i) अनुसूची-I में उपशीर्ष-II, "मन:प्रभावी पदार्थ" के अधीन, क्रम संख्या 25 और 32 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) अनुसूची-III, में मद संख्यांक 3 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3	4
"4.	निमेटाजेपम		1, 3-डिहाइड्रो-1-मिथाइल-7-नाइट्रो-5-फिनायल-2 एच-1, 4-बेन्जोडीन जेपिन 2-वन
5.	टेमाजेपम		7-क्लोरो-1 3-डिहाइड्रो-3-हाइड्रोक्सी-1, मिथायल-5-फिनायल-2 एच-1, 4 बेंजोडियाजेपिन-2-वन।"।

[फा. सं. I/62/2002-एन.सी. II]

श्यामला मोहन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 837(अ) तारीख 14 नवम्बर, 1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें का.आ. 786(अ) दिनांक 26-10-1992, का.आ. 599(अ) दिनांक 10-8-1993, सा.का.नि. 748(अ) दिनांक 14-12-1993, सा.का.नि. 543 दिनांक 24-10-1994, सा.का.नि. 82 दिनांक 14-2-1995, सा.का.नि. 556(अ) दिनांक 14-7-1995, सा.का.नि. 25(अ) दिनांक 12-1-1996, सा.का.नि. 509(अ) दिनांक 4-11-1996, सा.का.नि. 350(अ) दिनांक 25-6-1997, सा.का.नि. 214(अ) दिनांक 19-3-2002, सा.का.नि. 763(अ) दिनांक 14-11-2002, सा.का.नि. 115(अ) दिनांक 21-2-2003 और सा.का.नि. 129(अ) दिनांक 26-2-2003 द्वारा संशोधित किए गए हैं।

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2003

G.S.R. 217(E).—In exercise of the powers conferred by Section 9, read with Section 76 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985 :—

(i) in Schedule I, under sub-heading II, "PSYCHOTROPIC SUBSTANCES", items 25 and 32 and the entries relating thereto shall be omitted;

(ii) in Schedule III, after item 3, the following items shall be inserted, namely :—

1	2	3	4
"4.	Nimetazepam		1, 3-Dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1, 4-benzodin zepin 2-one.
5.	Temazepam		7-Choloro-1 3, dihydro-3-hydroxy-1 methyl-5-phenyl-2H-1, 4 benzodiazepin-2-one.".

[F. No. I/62/2002-NC. II]

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

Note : Principal Notification was published in the Gazette of India vide G.S.R. 837(E) dated 14-11-1985 and amended by S.O. 786(E) dated 26-10-1992, S.O. 599(E) dated 10-8-1993, G.S.R. 748(E) dated 14-12-1993, G.S.R. 543 dated 24-10-1994, G.S.R. 82 dated 14-2-1995, G.S.R. 556(E) dated 14-7-1995, G.S.R. 25(E) dated 12-1-1996, G.S.R. 509(E) dated 4-11-1996, G.S.R. 350(E) dated 25-6-1997, G.S.R. 214(E) dated 19-3-2002, G.S.R. 763(E) dated 14-11-2002, G.S.R. 115(E) dated 21-2-2003 and G.S.R. 129(E) dated 26-2-2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.